ग्रामीण विकास में संस्थागत एवं नीतिगत ऋणों की भूमिका : भारत के संदर्भ में एक वाणिज्यिक विश्लेषण

दीपक कुमार
एम० कॉम (वाणिज्य)
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

शोध सार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण सहकारी समितियों के द्वारा उठाया जाने वाला प्रभावी कदम है। ये समितियां सीमान्त किसान व लघु, स्वयंसहायता समूहों, भूमिहीन श्रमिक, अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे पिछडे व उपेक्षित वर्गो को बैंकिग क्षेत्रों से जोडा जा रहा है जिससे 'ग्रामीण विकास' की प्रक्रिया मजबूत होगी। वर्तमान समय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित होने से ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और कृषि व इससे संबंधित विविध क्रियाओं के लिए ऋण व्यवस्था सुलभ होने से आधुनिक कृषि, कृषि विकास व कृषि यंत्रीकरण की धारणा मजबूत हो रही है। जिससे देश के गरीबी व बेरोजगारी विमुक्त होगी। सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के माध्यम से ही देश के संतुलित विकास व न्यायपूर्ण वितरण की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाना संभव है तथा तभी देश औद्योगिक राष्ट्रों की कतार में पंक्तिबद्ध हो पाएगा।

कुंजी शब्द : ग्रामीण, अर्थव्यवस्था, ऋण, सीमान्त किसान, गरीबी।

परिचय

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण योगदान है। देश की 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषि व संबंधित क्रियाओं से ही अपनी आजीविका प्राप्त करती है। अतः ग्रामीण विकास, कृषि के विकास से ही संभंव है। इस तथ्य को देखते हुए सहकारी समितियों ने कृषि विकास करके कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु फसल ऋण योजना के क्रियान्वयन, लघु कृषकों को ऋण में प्राथमिकता तथा किसानों में बचत प्रवृति को विकसित करने हेतु विषेष कदम उठाए है। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां ने किसानों की वित्त संबंधी सहायता प्रदान किए है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के ग्रामीण क्षेत्र बैंकिग व वित्तीय संस्थानों की सुविधाओं से वंचित थे। वित्तीय असुविधा के कारण ग्रामीण क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता व आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। सहकारी समिति अधिनियम, 1904 के तहत देश में ग्रामीण ऋण व्यवस्था का दायित्व सहकारी संस्थानों को

सौंपा गया था। भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ ही देश में सहकारी साख समितियों का त्रिस्तरीय स्तूपाकार ढ़ांचा तैयार किया गया। प्राथमिक साख समितियां है जो मुख्य रूप से एक वर्ष के लिए ग्राम स्तर पर उत्पादन कार्यो हेतु ऋण प्रदान करती है, जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (केन्द्रीय बैंक) तथा राज्य स्तर पर शीर्षस्थ बैंक है। वर्ष 1936–37 में रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि कृषि ऋणों में सहकारी समितियों की भूमिका नगण्य थी तथा अधिकांश किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महाजनों व साहूकारों पर निर्भरता बनी हुई थी। कुल ऋणों में सहकारी क्षेत्र का योगदान वर्ष 1951 में महज 3.3 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक बैंको का 0.9 प्रतिशत दर्ज किया। स्पष्ट है कि वर्तमान में सहकारी संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सहकारी साख समितियों का विकास मूल रूप से देश के कमजोर वर्गो को आत्मनिर्भर बनाने व मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त करवाने हेतु किया गया है। इन संस्थाओं का मूल मंत्र ''प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए'' है। ये समितियां ग्रामीण जनों को बैंकिग सुविधाओं की परिधि में समावेशित करते हुए 'वितीय समावेषन' की प्रक्रिया को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयासरत है। समाज के कमजोर वर्गों के लोगो को ग्रामीण सहकारी समितियां वितीय सेवाएं उपलब्ध करवाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ व मजबूत करने में संलग्न है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सीमान्त किसान व लघु, स्वयंसहायता समूहों, कृषि एवं भूमिहीन श्रमिक, अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे पिछड़े व उपेक्षित वर्गो को बैंकिग क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। जिससे 'ग्रामीण विकास' की प्रक्रिया मजबूत होगी। ग्रामीण सहकारी समितिया लोकतांत्रिक पद्वति से कार्य संचालन करते हुए उत्पादकता, भूविकास, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण गरीबों के विकास, रोजगार के अवसरों की खोज 'सामाजिक न्याय तथा ग्रामीण गरीबों के विकास को सुनिश्चित करते हुए न्यायसंगत वितरण के मार्ग को प्रशस्त कर रही है।

तलिका संख्या –01

ग्रामीण सहकारी साख समितियों की प्रगति		
	प्राथमिक कृषि	साख समितियों
वितरण	2004	2005
संख्या (लाख रू.)	01.12	01.09
सदस्य संख्या (करोड रू.)	12.36	12.74
ऋणी (करोड रू.)	06.39	04.51
स्वामित्व कोष (करोड रू.)	8198	9197
जमाएं (करोड रू.)	19120	18976
ऋण (करोड रू)	30278	40429

ऋण निर्गमन (करोड रू)	33996	39212

स्रोत – सहकारिता विभाग भारत, 2004–05

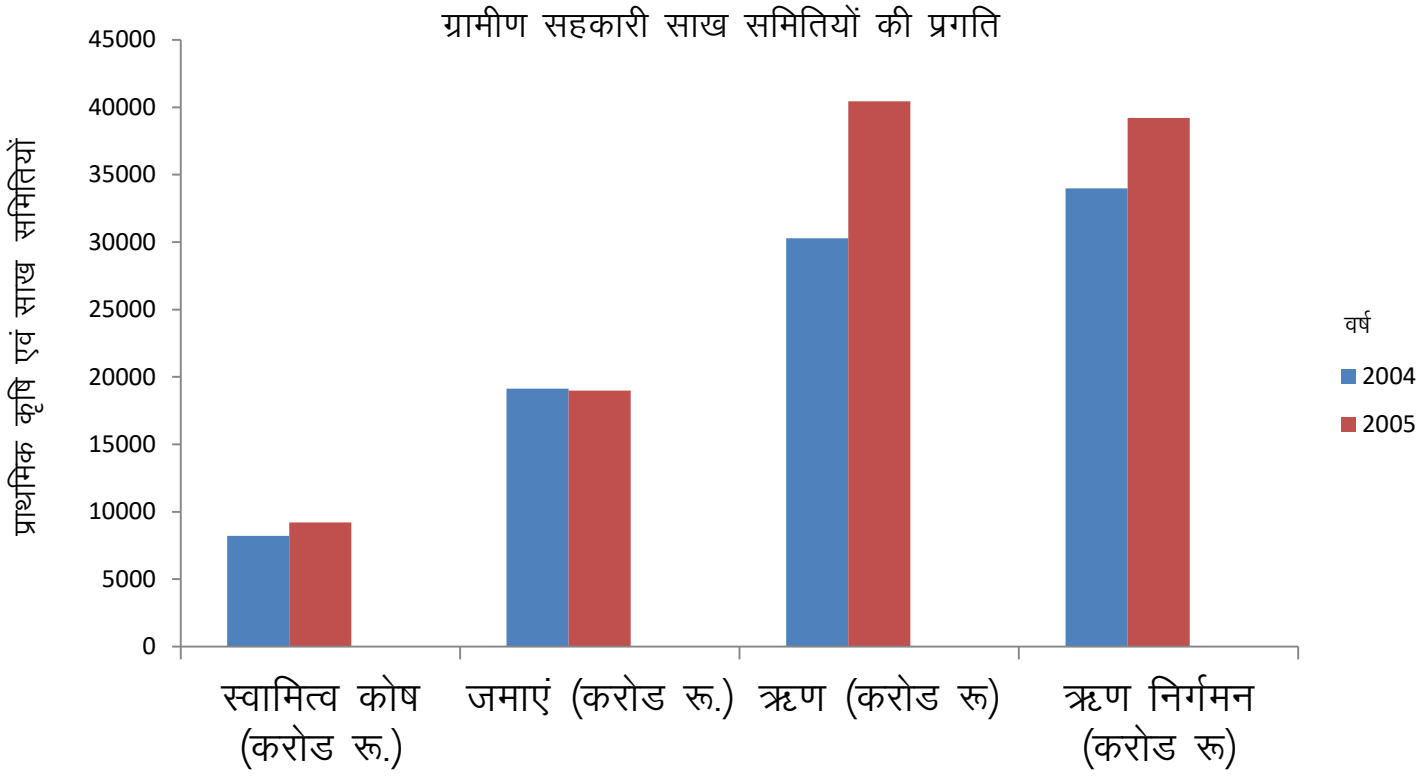

चित्र संख्या –01

कृषि विकास करके कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारी समितियों के द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। इसके आलावे सहकारी समितियों ने लघु कृषकों को ऋण में प्राथमिकता तथा किसानों में बचत–प्रवृति को विकासित करने एवं फसल ऋण योजना के क्रियान्वयन हेतु विषेष कदम उठाए है। साथ ही सहकारी समितियां किसानों की वित्त संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आंशिक सफल हुई है। सहकारिता के ढ़ांचे व सहकारी समितियों की अपर्याप्त धनराशि, साहूकारों से प्रतिस्पर्धा व लघु कृषकों की उपेक्षा आदि तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अतिरिक्त समिति, किसानों को आवश्यकता से कम ऋण प्रदान करना, ऋण एजेंसियों के मध्य सहयोग व समन्वय का अभाव आदि तत्व भी सहकारी ऋण व्यवस्था के सफलता के मार्ग को बाधित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिग एवं वित्तीय सुविधाओं से लैंस करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आवंटित जिले में बैंकिग व्यवस्था को सुनिष्चित करने का राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपा गया। इसी क्रम में वर्ष 1980 में निजी क्षेत्र के 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ग्रामीण वित्त व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई।

1 अप्रैल 1989 को सेवा क्षेत्र योजना' को क्रियान्वित करके ग्रामीण ऋणों की गुणात्मकता को बढानें के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वितीय ऋणों के प्रवाह को सुनिश्चित

करने के उदेश्य से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए कुल ऋणों का 40 प्रतिषत निर्धारित किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण जनों में बचत प्रवृति को बढावा मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण प्रवाह सुनिश्चित होने से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आधुनिक कृषि, कृषि विकास, कृषि यंत्रीकरण से व ऋण व्यवस्था सुलभ होने से कृषि व इससे संबंधित विविध क्रियाओं की धारणा मजबूत हो रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत ऋण की अभिवृद्वि हेतु अनवरत प्रयास किए जाने के लिए किया गया है।

'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' की स्थापना 20 अक्टूबर, 1975 हुई है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने तथा ग्रामीण कमजोर वर्गो को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने कि लिए किया गया है। निसंदेह रूप से ग्रामीण बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इन बैंको के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक–सामाजिक स्थिति सुदृढ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बैंक लद्यु व सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, कुटीर व लघु तथा दस्तकारी उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान समय में ये बैंक सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंको से प्रतिस्पर्धा, कमजोर पूंजी आधार अनर्जक आस्तियों का उच्च प्रतिशत, समन्वय का अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपर्याप्तता आदि चुनौतियों से जूझ रहे हैं। निसंदेह रूप से, इन चुनौतियों का शीध्र समाधान करके ही ग्रामीण विकास में इन बैंको की प्रासंगिकता व सार्थकता को बढ़ाया जाना संभव है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना1982 में की गई है। इस बैंक मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत व तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक, सहकारी व क्षेत्रीय बैंकों को पुर्नवित व वितीय सहायता प्रदान करने, कृषि ऋण उपलब्ध कराने तथा संस्थागत ऋण व्यवसाय का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इस आलावे संस्थान के कंधों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की निगरानी तथा सहकारी ऋण संस्थाओं की जिम्मेदारी भी है।

नाबार्ड ने वर्ष 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी नवोन्मेषी योजना का सूत्रपात किया। जिसका मुख्य उद्देश्स किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना तथा ऋणों मे अधिक लचीलापन लाना है। यह बैंक सहकारी ऋण संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को लद्यु, मध्यम तथा दीर्धावधि ऋण प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नाबार्ड के 'आरईडीपी' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसका लक्ष्य ग्रामीण बेरोजगार युवकों में क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन करना। इसके अतिरिक्त नाबार्ड गरीब महिला वर्ग की ऋण व्यवस्था हेतु स्वयंसहायता समूहों का सूत्रपात, सूक्ष्म ऋण तथा विपणन व्यवस्था, महिलाओं

के लिए प्रशिक्षण व कौशल महिला सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। वही ई–गवर्नेस, ई–मेल जैसी सुविधाओं से गांवो को लैस करने हेतु सूचना नाबार्ड प्रोद्योगिकी विभाग के साथ समन्वित रूप से 'सामान्य केन्द्रो की स्थापना में योगदान दे रहे हैं। नाबार्ड 'ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था' करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड तथा स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन करने हुए कृत संकल्पित है। यही नहीं, ग्रामीण विकास के लिए अनुदानों और उदार ऋणों की व्यवस्था करने हेतु नाबार्ड ने पिछले वर्षो में अनेक प्रकार के विशेष उद्देश्य केन्द्रित कोष स्थापित किए है। इस प्रकार से नाबार्ड वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, महिला विकास, वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त संस्थानों तथा स्वयंसहायता समूहों के विकास, गांवो में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए गांवों को विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने का प्रयास कर रहे हैं।

बैंकों व सहकारी संस्थाओं का गांवो में गरीबी एवं बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु संचालित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान है। बैकों के द्वारा प्रदत ऋणों, निगरानी व्यवस्था तथा जानकारी की उत्त्रोतर भूमिका अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से सरकार महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए 'वितीय व्यवस्था' का प्रावधान करते हुए उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कृतसंकल्प है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि निम्न आय वर्ग के लोग व विषेष रूप में महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने, उनको गरीबी के चंगूल से बाहर निकालने के दृष्टिकोण से स्वयंसहायता समूहों तथा लघु वित संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु वित्त' के प्रावधान से गरीब वर्ग के लोग साहूकारों व महाजनों के ऋण जाल से मुक्त होने के साथ ही शारीरिक व मानसिक शोषण, सामाजिक उत्पीड़न से काफी हद तक विमुक्ति मिल रही है।

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को 'स्वरोजगार' उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से भी भूमिका उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के माध्यम से 'प्रशिक्षण व्यवस्था' तथा इन बेरोजगार युवकों को 'स्वरोजगार' हेतु प्रावधान किया गया है। इस योजना की बदौलत अनेक ग्रामीण युवा स्वरोजगार में संलग्न होकर न केवल ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सहभागी बन रहे है अपितु गांवो से शहरों की तरफ पलायन वृति पर भी लगाम कसी जा रही है। निसंदेह रूप से देश में सार्वजनिक क्षेत्र में संकुचित होते रोजगार अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए 'स्वरोजगार कार्यक्रम' बेरोजगार युवकों तथा ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है बषर्ते बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों व सहकारी संस्थाओं का इस योजना के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग व निर्दोष हो।

21 वीं शताब्दी सूचना प्रौधोगिकी के युग है। यह अतिआवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी संचार प्रोद्योगिकी जोड़ा जाए। वर्तमान समय में बैंक आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान कर हुए गांवो को भी सूचना प्रोद्योगिकी से लैंस करने के लिए प्रयासरत है। हाल के वर्षों में कृषि क्षैत्र के विकास व व्यवसायीकरण में बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ती जा रही है। कृषि भूमि सुधार, कृषि यंत्रों की खरीद, बीज, उर्वरक, प्राकृतिक संकटों से निपटने, आदि के क्रय हेतु ऋणों की सहज व समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बैंक व सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयासरत है। यही नहीं लघु सिंचाई व्यवस्थाओं हेतु ऋण हेतु व फव्वारा सिंचाई पद्वति में बैंकिग संस्थाएं कृषि में जोखिम कम करने हेतु कोशिश कर रही है। किसानों के आय व जीवन–स्तर में अपेक्षित सुधार हेतु लघ्यु सिचाई व्यवस्था, फार्म पौण्ड तथा वाटरशेड के माध्यम से कृषि में उत्पादकता बढ़ा रहे हैं।

निष्कर्ष

सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1959 में देश के 40 प्रतिशत से अधिक लोगों के बैंक में खाते भी नहीं था। कृषक परिवारों के कुल 27 प्रतिशत को ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त होता है और लगभग 22 प्रतिशत ऋणों हेतु अनोपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। शेष 51 प्रतिशत, जिनमें से अधिकांश सीमान्त कृषक है, के पास ऋण प्राप्त करने का कोई स्रोत नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व कमजोर लोगों को बैंको से जोडने तथा ऋण प्रदान करने के लिए शीध्र प्रभावी कदम उठाए जाए। सहकारी बैंकों की पूंजीगत संरचना को मजबूत बनाकर, ऋण सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करके, ऋण प्रदाता विविध एजेंसियों व बैंकों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना संभव है।

संदर्भ सूची

- सहकारिता विभाग, 2004–05
- सिंह, सुधांशु (2015) : किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय समावेशन का सरल जरिया, प्रकाशित आलेख, कुरूक्षेत्र, वर्ष–61, अंक–10,
- विश्वकर्मा, हरिनारायण (2014) : किसानों को ऋण प्रप्ति के संस्थागत स्रोत, प्रकाशित आलेख, कुरूक्षेत्र, वर्ष–61, अंक–01,
- कुमारी, सोनी (2014) : किसानों को ऋण प्रप्ति के संस्थागत स्रोत, प्रकाशित आलेख, कुरूक्षेत्र, वर्ष–61, अंक–01,
- www.kisaankheti.com